फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

गुणेशाराम बनाम मूलाराम वगैरा

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 90/18/18 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यरा जज	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल म जारी हुए
07.03.18	प्रार्थी की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। वकील प्रार्थी के अनुसार प्रार्थी की पैतृक खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि मौजा पांचा की ढाणी पटवार मण्डल हीरा की ढाणी तहसील गिड़ा में आई हुई है। वर्तमान में विप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में बाधा, हस्तक्षेप करने व प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 09.05.2018 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा पांचा की ढाणी पटवार मण्डल हीरा की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 373 रकबा 47.04 बीघा भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा कारित नहीं करे तथा न ही किसी प्रकार की कोई ग्रेवल सड़क या अन्य किसी प्रकार की सड़क का निर्माण कार्य नहीं करें तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखें। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 09.05.2018 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
9/5/18	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 13/6/18 को पेश हों।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:13:50 IST
Reason: SelfAttested

13/6/18 पत्रावली आज न्याय आपके अभियान 2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत तीन की ढाणी में रखी गई, प्रार्थी मय अधि. उप.। विपक्षीगण के नोटिस तामील तामील अप्राप्त इन्तजार होकर पत्रावली 5/09/18 को पेश हो तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

5/9/18 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 24/10/18 को पेश हों।

17.6.2020 पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री शिवाराम सियाग ने मूलवाद 36/2018 में Not Press किया है, अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रा. पत्र मय स्थगन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से जमा हो।

विवेक व्यास
17.6.2020
सहायक कलक्टर (SDO)

17/6/2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 16:13:50 IST
Reason: SelfAttested